

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 01/2012	विक्रम संवत् 2068	4(शु0) माघ 1933 (शा0) जमशेदपुर, शुक्रवार, 27/01/12
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिसूचना।		
विषय सूची		पृष्ठ संख्या
1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।		01-18

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -36

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- **दरखुली-11** परगना , थाना-घाटशिला, थाना नं0- **247**, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 एल0-50 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **दरखुली-11** थाना नं0-**247** के भीतर भूमि का **1** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **1.26** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-109

चौहद्दी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-43

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-109

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-112 एवं 113

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-109

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धो के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

लगातार-2

(2)

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-12, मानगो, जमशेदपुर के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 36

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -37

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - जुगीशोल परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 198, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0-46 गुसला जुगीशोल माईनर के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- जुगीशोल थाना नं0-198 के भीतर भूमि का 1 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 14 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

लगातार-3

(3)

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-
अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-1

चौहद्दी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम नाटकाटा, थाना नं० - 199

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-1

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-191, 190 एवं 1

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम नाटकाटा, थाना नं० - 199

नोट - वनभूमि का खेसरा संख्या-190, 191 का रकबा 0.29 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/-

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 37

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -38 /

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कुमरपुर परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 210, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- कुमरपुर थाना नं०-210 के भीतर भूमि का 8 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 2.77 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-21, 22, 17, 18, 13, 14, 15 एवं 12

चौहद्दी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-21, 18, 13 एवं 12

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम मधुआशोली, थाना नं० - 209

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम मेटआशोली, थाना नं० - 209 अंश खेसरा संख्या-14, 21,15, 17 एवं 22

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बालियापुरी,, थाना नं० - 211

नोट - वनभूमि का खेसरा संख्या-190, 191 का रकबा 0.29 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-5

(5)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 38

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -39

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बलियाजुड़ी परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 211, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- बलियाजुड़ी थाना नं०-211 के भीतर भूमि का 25 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 4.87 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या-136, 137, 138 तथा अंश खेसरा संख्या-496, 495, 492, 490,479,480,484,488,489,490, 486, 481, 485, 483, 151, 255, 112, 140, 141, 135, 139 एवं 487

लगातार-6

(6)

चौहदी खण्ड-क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-490, 439, 480, 481, 483, 151, 225, 150 एवं 148,

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुमरपुर, थाना नं0 - 210,

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-496, 495, 492, 490, 488, 489, 487, 486, 485, 151, 150 एवं 148

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-148

चौहदी खण्ड-ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 148

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-148, 112, 145, 146, 140, 141, 135 एवं 139

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-135 एवं पूर्ण खेसरा संख्या-138

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-148, 112,146, 145, 140, 135,

नोट - वनभूमि का खेसरा संख्या-148, 150, 145, 146 का रकबा 3.70 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धो के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 39

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-7

(7)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -40

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **मधुआशोल** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **209**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **मधुआशोल थाना नं०-209** के भीतर भूमि का **30** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **4.52** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 256, तथा अंश खेसरा संख्या- 178, 179, 177, 264, 262, 261, 249, 250, 260, 255, 259, 324, 325, 258, 257, 243, 240, 239, 238, 237, 236, 373, 374, 235, 234, 374, 375, 231, एवं 230

चौहदी खण्ड क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 178 एवं 179

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-177, 264,262 एवं 324

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 324 एवं 259

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 260,250,259 एवं 179

चौहदी खण्ड ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- **255, 257, 243, 240, 239, 238, 237, 236, 234, 375, 231** एवं 230,

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- **261** एवं 324

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या- **230,231,375,374,235, 373, 239, 240, 243, 257, 258, 259, एवं 325**

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुमरपुर, थाना नं० - 210,

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-8

(8)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 40

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -41

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **नाटकाटा** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **199**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **नाटकाटा थाना नं०-199** के भीतर भूमि का **17** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **3.48** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या- 277, 260, 258, 259, 256, 254, 189, 253, 252, 226, 225, 224, 184, 185, 223, 222 एवं 221

लगातार-9

(9)

चौहद्दी

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-75,277,260,258,259,257,256,254,253,252,226,225,224,223,222 एवं 221

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुकराकुपी, थाना नं0 - 200,

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 75, 277, 278, 260, 257, 189, 184, 185, तथा संयुक्त सीमा रेखा
ग्राम जुगीशोल, थाना नं0 - 198

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-185, 189 एवं 221

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-278, 257 का रकबा 1.50 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या-75 का रकबा 1.56 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 41

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-10

(10)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -42

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम – **बहराशोली** परगना , थाना-घाटशिला, थाना नं०- **212**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **बहराशोली थाना नं०-212** के भीतर भूमि का **4** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.75** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-
अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा **संख्या-4, 8, 7** एवं 1

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा **संख्या- 4, 7, 1** एवं पूर्ण खेसरा संख्या-6

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुकराकुपी, थाना नं० - 200,

दक्षिण :- अंश खेसरा **संख्या- 8** एवं 1

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुकराकुपी, थाना नं० - 200,

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे **कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह** के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-11

(11)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 42

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -43

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **कुकराकुपी** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **200**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **ओ० आर०-46 गुसला जुगीशोल माईनर** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **कुकराकुपी थाना नं०-200** के भीतर भूमि का **18** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **1.92** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 606, 608, 621 तथा अंश खेसरा संख्या-604, 607, 609, 619, 633, 622, 623, 625, 620, 627, 628, 629, 634, 585 एवं 580

लगातार-12

(12)

चौहदी खण्ड क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- आर0 एफ0 567, 580, 585 एवं 634

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बहराशोली, थाना नं0 - 212

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 634 एवं आर0 एफ0 567

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम नाटकाटा, थाना नं0 - 199,

चौहदी खण्ड ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 629, 627, 625, 623, 633, 619, 603, 607 एवं 604

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बालियागुरी, थाना नं0 - 211

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 607, 609, 619, 620, 628 एवं 629

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बहराशोली, थाना नं0 - 212,

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-603 का रकबा 0.01 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या-527 का रकबा 7.08 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-7, गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-13

(13)

ज्ञापांक 43

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -44

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **भिलाईपहाड़ी-VI** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **1146**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **डब्लु0 सी0 एच0 निर्माण हेतु** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **भिलाईपहाड़ी-VI थाना नं0-1146** के भीतर भूमि का **18** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.935** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 1344, 1457 तथा अंश खेसरा संख्या-736, 737, 752, 738, 740, 741, 742, 747, 745, 744, 1346, 1343, 1459, 1359, 1358 एवं 1362

चौहदी खण्ड क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 736 एवं 737

पूरब :- पूर्ण खेसरा संख्या- 729

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 736 एवं 737

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 736

लगातार-14

(14)

चौहदी खण्ड ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 737

पूरब :- पूर्ण खेसरा संख्या- 729 एवं अंश खेसरा संख्या- 738, 740, 741, 742, 743, 744, 1346, 1345, 1344, 1343, एवं 1341

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 1341

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 1341

चौहदी खण्ड ग

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 1341

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 1341

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 1341

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 1341, 1343, 745, 743, 742, 741, 752, एवं 737

चौहदी खण्ड घ

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 1341

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 1341, 1459, 1457, 1359, एवं 1358

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 1358, एवं 1359

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 1359, 1341, एवं पूर्ण खेसरा संख्या-1476

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-1341, 1345 का रकबा 0.705 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी, प्रमण्डल संख्या-3, मानगो जमशेदपुर के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिश्चित अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-15

(15)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 44

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -45

/

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - गलापड़ासिया- II, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 842, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बहरागोड़ा वितरणी आ०टी०एल०-65 निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- गलापड़ासिया - II के भीतर भूमि का 5 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.46 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 247 तथा अंश खेसरा संख्या-235, 245, 244, एवं 240

लगातार-16

(16)

चौहद्दी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 235

पूरब :- पूरुण खेसरा संख्या- 256, एवं 254

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 845

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या- 247, 248, 244 एवं 245

नोट - अनावाद झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-256 एवं 257 का रकबा 0.09 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल गालुडीह के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 45

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-17

(17)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -46

दिनांक -11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **बैष्टमडांगरा- II**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **844**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **गहरागोड़ा वितरणी ओटीएल-65 निर्माण हेतु** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **बैष्टमडांगरा थाना नं०-II** के भीतर भूमि का **3 टुकड़ा** अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.14 एकड़** के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 42, 43 एवं 44

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-गलापडासिया, थाना न०-842

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 45, 42, 43

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 44

पश्चिम:- पूर्व अर्जित खेसरा संख्या- 44

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-45 का रकबा 0.08 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे **कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालुडीह** के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

लगातार-18

(18)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 46

/

जमशेदपुर,

दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले तीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ प्रेषित / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।